

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एसबी आपराधिक रिट याचिका संख्या 320/2023

1. विक्रम सिंह इंद्रोई पुत्र श्री चुग सिंह जी, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी इंद्रोई , थाना रामसरा, बाड़मेर। वर्तमान में केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में बंद।
2. शैतान सिंह पुत्र स्व. उत्तम सिंह जी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्रामपोस्ट सगरा देचू, जिला जोधपुर। वर्तमान में केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में बंद।
3. देवी सिंह पुत्र स्व. केशर सिंह जी, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट श्री भादरिया ठा. पोखरण, जिला जैसलमेर। वर्तमान में केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में बंद।
4. नरेश सोनी पुत्र स्व. हेमराज जी सोनी, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी राय कॉलोनी बेरियो का बास, जिला बाड़मेर। वर्तमान में केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में बंद।
5. किशन सिंह पुत्र श्री जेतमाल सिंह जी, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 1, शिव मंदिर मार्ग लिलारिया धोरा जिला बाड़मेर। वर्तमान में केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में बंद।
6. अमर सिंह पुत्र स्व. भगीरथ सिंह जी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम डंडिया ठा. परबतसर, जिला नागौर। वर्तमान में केन्द्रीय कारागार, जोधपुर में बंद।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
3. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) के लिए	:	सुश्री प्रियंका बोराना
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री दीपक चौधरी, एएजी,
		श्री एनएस चंदावत द्वारा सहायता प्राप्त

माननीय श्रीमान न्यायाधीश फरजंद अली

आदेश

प्रकाशनीय

07/03/2025

1. याचिकाकर्तागण की ओर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तत्काल आपराधिक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों में भाग लेने की अनुमति मांगी गई है।
 2. याचिकाकर्तागण कई मामलों में अभियुक्त हैं और राजस्थान के लगभग हर राज्य में दर्ज विभिन्न प्राथमिकियों के रूप में आपराधिक कार्यवाही का सामना करने के लिए मजबूर हैं और भविष्य में यह बढ़ सकता है। इस न्यायालय ने 23.08.2024 के आदेश में वित्तीय अपराधों के आरोपियों के खिलाफ कई प्राथमिकियों के मुद्दे को संबोधित किया, जिसके कारण विभिन्न जिलों में 259 मामले सामने आए। इस न्यायालय ने प्रक्रियात्मक बोझ और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार के संभावित उल्लंघन को मान्यता दी। इस न्यायालय ने अधिक कुशल न्यायिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए भौगोलिक निकटता के आधार पर मामलों को समूहों में समेकित किया है और आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करते हुए मामलों को विशिष्ट जिला अदालतों में समेकित परीक्षणों के लिए स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।
 3. अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने और प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिकाकर्ता अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति चाहता है। सबसे पहले, अभियुक्त के लिए एक साथ कई स्थानों पर शारीरिक रूप से उपस्थित होना संभव
-

नहीं है। एक साथ कार्यवाही होने की स्थिति में, उसकी शारीरिक अनुपस्थिति के कारण स्थगन होता है, जिससे अनावश्यक विलंब होता है। यह भी देखा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे " सीआरपीसी " कहा जाएगा) की धारा 273 के अनुसार, यदि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व उसके वकील द्वारा किया जाता है, तो कोई कानूनी बाधा नहीं है। प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार, साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में या, जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति की अनुमति न हो, तो उसके वकील की उपस्थिति में लिया जाना चाहिए। इसलिए, यदि आवश्यक हो, तो जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने और समन्वय करने का निर्देश दिया जा सकता है। इससे कार्यवाही प्रभावी ढंग से जारी रह सकेगी और केवल अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण कार्यवाही को निष्क्रिय या निष्फल होने से बचाया जा सकेगा।

4. इस न्यायालय का मानना है कि अभियुक्त की गैर-हाज़िरी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता, जेल से अदालत तक परिवहन की कठिनाइयाँ, पुलिस एस्कॉर्ट टीम की अनुपलब्धता, या अन्य रसद संबंधी बाधाएँ। यह देखते हुए कि चल रही कार्यवाही में छह साल बीत चुके हैं, अगर अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो मुकदमे को पूरा होने में अनुचित रूप से लंबा समय, संभवतः कई दशक, लग सकते हैं।

5. बेहतर समझ के लिए, सीआरपीसी की धारा 273 नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

“273. अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य लिया जाना - जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान लिया गया समस्त साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में, या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट हो, उसके वकील की उपस्थिति में लिया जाएगा:

¹[परन्तु जहां अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला का साक्ष्य, जिसके साथ बलात्कार या किसी अन्य लैंगिक अपराध का आरोप है, अभिलिखित किया जाना है, वहां न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय कर सकता है कि अभियुक्त द्वारा

ऐसी महिला का सामना न किया जाए, साथ ही अभियुक्त के प्रति-परीक्षा के अधिकार को भी सुनिश्चित किया जा सके।]

स्पष्टीकरण—इस धारा में, “अभियुक्त” में ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसके संबंध में इस संहिता के अधीन अध्याय 8 के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

राज्य संशोधन

गुजरात

धारा 273 में, “अपने वकील की उपस्थिति में” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-

“या, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से जब न्यायालय स्वप्रेरणा से या किसी आवेदन पर न्याय के हित में ऐसा निर्देश दे” जोड़ा जाएगा। [देखें गुजरात अधिनियम 31 वर्ष 2017, धारा 2 (30-8-2017 से प्रभावी)]

झारखंड

सभी साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा” शब्दों के बाद , “या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से” शब्द अंतःस्थापित करें। [देखें झारखंड अधिनियम 2, 2016 की धारा 3.]”

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 के मात्र अवलोकन से ही यह स्पष्ट है कि गुजरात और झारखंड राज्यों ने न्याय के हित में इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से उपस्थिति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त प्रावधान में पहले ही संशोधन कर दिए हैं। हालाँकि, राजस्थान में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में नियम तो बना दिए गए हैं, लेकिन अभी तक दंड प्रक्रिया संहिता में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

6. उपरोक्त के मद्देनजर, यह न्यायालय राज्य सरकार से अपेक्षा करता है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता में एक उपयुक्त संशोधन करने पर विचार करे, जिसमें यह प्रावधान हो कि जिन मामलों में अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है और उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, वहाँ कार्यवाही उसके वकील की उपस्थिति में जारी रह सकती है। इसके अतिरिक्त,

जिन मामलों में अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक समझी जाती है, वहाँ जेल प्राधिकारी न्यायिक समय की बर्बादी रोकने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और कार्यवाही प्रभावी ढंग से पूरी की जा सकेगी।

7. तदनुसार, इस आपराधिक रिट याचिका को प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है कि वे केन्द्रीय कारागार में उपयुक्त व्यवस्था करें, ताकि याचिकाकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने आपराधिक मुकदमों में उपस्थित होने में सुविधा हो।

8. यह भी निर्देश दिया जाता है कि यह आदेश सभी चल रही कार्यवाहियों और इसी मुद्दे पर उत्पन्न होने वाले किसी भी भविष्य के मामलों पर लागू होगा।

9. स्थगन याचिका निस्तारित की जाती है।

(फरजंद अली), जे

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी